Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding creation of All India Judicial Services -laid.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली):सुप्रीम कोर्ट का हाल का निर्णय अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हितों के खिलाफ है, जो कहता है कि आरक्षण विभाग को इकाई मानकर लागू किया जाए न कि विश्वविद्यालय को। विभाग में यदि एक-दो या तीन ही जगह खाली हैं तो कभी भी इन वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय नीति बनाने जैसा है जो केवल संसद ही कर सकती है। उच्च न्यायपालिका में जब तक एस.सी./एस.टी. एवं ओ.बी.सी. का आरक्षण नहीं होता तब तक इन वर्गों को न्याय मिलना असंभव हो गया है।

जिस तरह से सिविल सर्विसेज की परीक्षा से योग्य प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते हैं, उसी तरह से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा लागू की जाए।